



Ref: RCPL/SBZ/EE-LALGANJ/1061

Date: 07 JAN 2025

सेवा में,  
अधिशाली अभियन्ता,  
पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०,  
विद्युत वितरण खण्ड-लालगंज,  
जनपद-प्रतापगढ़।  
E-mail- [xen.lalganj@puvvn.in](mailto:xen.lalganj@puvvn.in)

ई-मेल द्वारा प्रेषित


विषय- अनुबन्ध सं०-203/MD/PuVVNL/GEM/2022/B/2448535/EDC-PRATAPGARH/Globetech दिनांक 01-02-23 के सापेक्ष प्रस्तुत बीजक एवं बीजकों से रोकी गयी धनराशि के भुगतान के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि वि०वि०खं० प्रथम प्रतापगढ़ के क्षेत्राधीन समस्त 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों पर अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य हेतु अनुबन्ध सं०-203/MD/PuVVNL/GEM/2022/B/2448535/EDC-PRATAPGARH/Globetech दिनांक 01-02-23 जो दिनांक 30-09-24 तक प्रचलित थी, के सापेक्ष वि०वि०खं० को प्रस्तुत माह सितम्बर-24 की चलित बीजक धनराशि रू० 5168306/- (रू० इक्यावन लाख अडसठ हजार तीन सौ छः मात्र), माह जुलाई-24 के बीजक से रू० 851602/- (रू० आठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ दो मात्र), माह अप्रैल-24 के बीजक से रू० 750000/- (रू० सात लाख पच्चास हजार मात्र) कुल धनराशि रू० 6769906/- (रू० सडसठ लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ छः मात्र) का भुगतान अकुशल कर्मियों के दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु रोकी गयी है जो अनुबन्धानुसार उचित नहीं है। उक्त भुगतान हेतु कई बार व्यक्तिगत सम्पर्क, दूरभाषिक वार्ता एवं पत्रांक सं०-GCPL/SBZ/EE-LALGANJ/1583 दिनांक 07-09-24, पत्रांक सं०-1587 दिनांक 11-09-24, पत्रांक सं०-1588 दिनांक 11-09-24, पत्रांक सं०-1683 दिनांक 14-10-24, पत्रांक सं०-1687 दिनांक 16-10-24, पत्रांक सं०-1724 दिनांक 05-11-24 एवं पत्रांक सं०-1744 दिनांक 13-11-24, द्वारा निवेदन किया, परन्तु अब तक उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ कर परेशान व प्रताड़ित करने के लिए भुगतान बाधित किया जा रहा है।

महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त बकाया धनराशि रू० 6769906/- (रू० सडसठ लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ छः मात्र) का भुगतान कराने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाना हमारी बाध्यता होगी।

भवदीय

  
(दुर्गेश शाही)

अधिकृत हस्ताक्षरी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल द्वारा प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
3. मुख्य अभियन्ता (वि०), द्वितीय प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशा०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०मं० प्रतापगढ़।
6. कार्मिक अधिकारी, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।

भवदीय

(दुर्गेश शाही)  
अधिकृत हस्ताक्षरी

*Work Discipline Only Key Of Success!*